सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो०

डूंगला।

विषय:- सम्पर्क पोर्टल परिवाद सं. 122107811573885 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त परिवाद के क्रम में निवेदन है कि परिवादी ज्योति जी नि० पालखेड़ी प०म० पालखेड़ी द्वारा राज० सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज कराया कि हमारे खातेदारी जमीन के सामने वाली चारागाह जमीन पर अप्रार्थी नरेशराव गोपालराव s/o ऊंकारसिंह द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर अपने नाम करवा ली। इस बाबत मौका एवं रेकार्ड से जाँच की गई तो परिवादी ज्योति जी के नाम कोई भूमि दर्ज नही है। इनके पति एवं अन्य रिश्तेदार के नाम संयुक्त रूप से आ.नं. 4 एवं अन्य आराजीयात दर्ज है। परिवादिया के पति की आराजीयात एवं हाइवे रोड़ के बीच बिलानाम सरकार भूमि थी, जिसको आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सन 1989 में रकबा 2 बीघा भूमि नरेशराव, गोपालराव के पिता के नाम आवंटन हुई। लेकिन हाइवे रोड़ एवं परिवादिया के पति के नाम दर्ज भूमि आ.नं. 4 के बीच भूमि आ.नं. 257/1 के आंशिक भाग पर परिवादिया के पति का अवैध कब्जा था। खातेदार नरेशराव गोपालराव द्वारा अपनी आ.नं. 257/1 की पत्थरगढ़ी करवाई गई, जिसमें आ.नं. 257/1 पर आंशिक कब्जा परिवादिया के पति का था। न्यायालय आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार सा० डूंगला द्वारा कब्जा मूल खातेदार नरेशराव गोपालराव को सुपुर्द किया गया। परिवादिया द्वारा ~~पट~~ पटवारी के सहयोग से चरागाह भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने बावत शिकायत झूठी है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

(हस्ताक्षर)
01/07/2022
पटवारी-पालखेड़ी